


मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

दावा संख्या 243/08
दायरा दिनांक 14.08.2008
पीठासीन अधिकारी:-साधुराम जाट, आर.ए.एस.
निर्णय दिनांक 24.12.2018

- 1 प्रभाती
- 2 चन्दगी
- 3 प्रकाश
- 4 मामचन्द उर्फ रामलाल पुत्रान मुन्ना
- 5 श्रीराम
- 6 फूलसिंह पुत्रान मोती
- 7 ओमकार पुत्र ठाकरती
- 8 बोबड
- 9 गिरधारी -फोट
- 10 लटूर पुत्रान भयोनारायण -फोट
10/1 लाली पत्नी लटूर
10/2 रिशीलाल पुत्र लटूर
- 11 दयाराम
- 12 रामानन्द
- 13 दूलीचन्द
- 14 कृष्ण पुत्रान बहराम
- 15 रणजीत
- 16 रामपत पुत्रान देहलू
- 17 चन्द्रभान पुत्र घासी जाति अहीरान निवासीयान मउ तहसील मुण्डावर, अलवर राज.
-वादीगण

बनाम

- 1 ओमप्रकाश पुत्र राधाकिशन
- 2 लाली पुत्री राधाकिशन
- 3 अमरसिंह
- 4 छोटेलाल पुत्रान भोमा
- 5 अमीचन्द
- 6 भूपसिंह पुत्रान बिरजू
- 7 मेहरचन्द दत्तक पुत्र नानगो
- 8 मोहरसिंह पुत्र उमराव
- 9 पोलाराम पुत्र जयकिशन -मृतक
9/1 रंगलाल
9/2 रतनलाल
9/3 राजेन्द्र उर्फ मांगे पुत्रान पोलाराम
9/4 माडी देवी बेवा पोलाराम
- 10 भयोचन्द
- 11 बस्तीराम


उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

- 12 विजयसिंह
13 दयानन्द पुत्रान छाजू
14 रत्तीराम पुत्र सांचत
15 अमीचन्द पुत्र ठाकरसी-फोट
15/1 महेन्द्र
15/2 नरेश
15/3 राजेश उर्फ नरेश पुत्रान अमीचन्द
20 रामसिंह पुत्र प्रभू जातियान अहीरान निवासीयान मउ
21 राधेश्याम
22 रामकिशन
23 सुगन पुत्रान गिरधारी लाल
20 रामेश्वर पुत्र घीसा-फोट
20/1 लवकुश
20/2 रिवन्नु पुत्रान रामेश्वर
20/3 सीता देवी बेवा रामेश्वर जातियान ब्राह्मण निवासीयान मउ
25 सावित्री पत्नी औमप्रकाश
26 रामपत पुत्र कन्हीराम -फोट
22/1 हेमकरण
22/2 जलेशिंह पुत्रान रामपत
22/3 चांदली बेवा रामपत जातियान अहीरान निवासीयान मउ
27 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, मुण्डावर
28 रामेश्वर पुत्र धनसी जाति अहीर निवासी मउ, तहसील मुण्डावर, अलवर राज.
- प्रतिवादीगण

दावा -ईशतकरारहक, दुरुस्ती इन्द्राज
मय हु0 ई0 दवामी

वादीगण की ओर से श्री रणवीरसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 24.12.2018 को साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-


हाल आराजी खसरा नम्बर 85/0.11, 86/0.25, 87/0.45, 88/0.15, 89/0.13, 96/0.09, 97/0.14, 98/0.13, 99/0.11, 100/0.11, 388/0.10, 389/0.10, 390/0.07, 401/0.04, 402/0.09, 403/0.15, 404/0.09, 405/0.05, 406/0.05, 407/0.06, 408/0.22, 409/0.10, 410/0.20, 411/0.09, 412/0.06, 413/0.20, 84/0.11, 78/0.08, 79/0.08, 104/0.05, 386/0.19, 387/0.19, 77/0.15, 81/0.22, 82/0.22, 83/0.20, 90/0.22, 91/0.21, 92/0.20, 93/0.19, 94/0.16, 95/0.18, 385/0.60, 80/0.22 हैवो वाके ग्राम मउ तहसील मुण्डावर जिला अलवर के 1/2 भाग के वावत हाल राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण के नाम कुल 13 बैल अंकित में से वादीगण के हिस्से 3 बैल की हद तक प्रतिवादीगण का नाम हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते हैं एवं उपरोक्तानुसार विवादित आराजी में वादीगण 1 लगायत 4 को समभाग में 1/2 बैल, 5 व 6 को समभाग में 1/2 बैल, 7 को 1/2 बैल, 8 को 1/4 बैल, 10/1 व 10/2 को समभाग में 1/4 बैल, वादी संख्या 11 लगायत 14 को समभाग में 1/3 भाग, वादी संख्या 15 को 1/3 भाग एवं वादी

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

संख्या 16 को 1/3 भाग दर 1/2 बैल एवं वादी संख्या 17 को 1/2 बैल का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादीगण को हुकम ईम्टनाई दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वे हाल अंकन के आधार आराजी मुतनाजा को रहन, वैय आदि प्रकार से मुत्तकिल ना करे ना ही वादीगण के कब्जेकाश्त मे किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा ना करे। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।


यह पर्चा डिकी आज दिनांक 24.12.2018 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं

पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर

27/2/19 आज प्रार्थना पत्र आता 152 का डी० फोटोकॉपी लीकार शेरे पर निबर्ष
कोर्टोदिकाने 24/12/18 मे अकित जालेवादीगण के नाम कुल 13 बैल अकित मे
ले वादीगण के हिसाब 3 बैल की हद तक जालेवादीगण के नाम हजफ किये जाने
के अकित किये जावे आदेश का हशोषित किया जाकर जालेवादीगण के शक्तिगार
हिसाब एवम् नाम पूर्वतः पचावत रहेगे एवम् जालेवादीगण के कुल 13 बैल के नाम
वादीगण के उक्त निबर्ष एवं पर्चा डिकी अनुसार वादीगण का 3 बैल के हिसाब एवम्
नाम वादीगण अकित किये जावे पढा जावे शेष निबर्ष पूर्वतः पचावत रहेगे।



उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०